पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया जिला जबलपुर-482005

निविदा (टेंडर) कमांक IIITDMJ/निविदा/2015/11/40 दिनांक 20/11/2015

आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह (Canteen) चलाने के लिए निविदा दस्तावेज

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया जिला जबलपुर-482005

इसमें कुल 19 पृष्ठ है।
निविदा प्रपत्र शुल्क रु0 1000/– पीडीपीएम,आईआईआईटीडीएम, जबलपुर के पक्ष में आहरित जबलपुर में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट् व्दारा देय।

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर

तथ्य पत्र (फेक्ट शीट)

1	बोली पूर्व सम्मेलन की तिथि	01/12/2015 को दोपहर 3.00 बजे।
2	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	14/12/2015 को दोपहर 3.00 बजे तक।
3	केवल तकनिकी बोली खोले जाने की तिथि व समय	14/12/2015 को दोपहर 4.00 बजे।
4	वित्तीय बोली खोले जाने की तिथि (केवल तकनिकी बोली में सफल बोलीकर्ताओं हेतु)	----/----/2015 (बाद में घोषित की जाएगी)

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया जिला जबलपुर-482005

आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह (Canteen) चलाने के लिए निविदा दस्तावेज

1. निविदाओं को दो भागों में, दो अलग अलग सीलबंद लिफाफों ''ए'' एवं ''बी'' में प्रस्तुत किया जाना है।

(ए) पहल लिफाफा ''ए'' में तकनिकी विवरण दिए जाएंगे :–

इस लिफाफे ''ए'' में निम्न दस्तावेज रखे जाने चाहिए।

i फर्म/निविदाकार का पंजीयन प्रमाणपत्र।

ii फर्म/एकमेव स्वामी का मूल्य सवंर्धित कर (VAT) पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति।

iii फर्म/एकमेव स्वामी (Proprietor) के पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक वर्ष/वर्षों का अनुभव प्रमाणपत्र।

iv पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक वर्ष/वर्षों का न्यूनतम रु0 3,00,000/–(रु0 तीन लाख मात्र) वार्षिक लेनदेन (Turnover) संबंधी लेखा परीक्षित (Audited) विवरण संलग्न करें (जो किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित हा)।

v फर्म/एकमेव स्वामी के पेन कार्ड की प्रति।

vi निविदा की शर्तों एवं निबंधनों (Terms & Conditions) की प्रति जो सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षरित एवं स्टेंप्ड हो।

vii निविदाकार का किसी न्यायालय द्वारा दंडित न होने बाबत घोषणापत्र। (उसे इस बाबत एक शपथपत्र देना होगा)

viii तकनिकी निविदा बोली लिफाफे में अमानत जमा राशि (EMD) रु0 10,000/–(रु0 दस हजार मात्र) अवश्य संलग्न होना चाहिए। अमानत जमा राशि के बिना प्राप्त तकनिकी बोली सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दी जाएगी।

ix तकनिकी निविदा बोली लिफाफे में निविदा शुल्क (Tender Fee) राशि रु0 1,000/–(रु0 एक हजार मात्र) अवश्य संलग्न होना चाहिए। निविदा शुल्क राशि के बिना प्राप्त तकनिकी बोली सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दी जाएगी।

(बी) दूसर लिफाफा "बी" में दर संबंधी बोली होगी :–

i इस लिफाफे "बी" में केवल दर संबंधी बोली (Price Bid) दी जाएगी। केवल तकनिकी रुप से छांटी गई (Short listed) सूची में सम्मिलित फर्म्स की ही, दर बोली संस्थान द्वारा पूर्व निश्चित तिथि, समय व स्थान पर खोली जाएगी जिस बाबत आवश्यक सूचना संस्थान द्वारा डाक/ईमेल /फैक्स के माध्यम से दी जाएगी।

1. कार्य की प्रकृति (Scope of Work) :–

सफल बोलीकर्ता को छात्रों एवं अन्य आगंतुकों (Visitors) के लिए पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम के आवासीय संकुल 1 में जलपानगृह (Canteen) चलाने की अनुमति दी जाएगी।

2. पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria) :–

2.1 ठेकेदार, बोली प्रस्तुत करने एवं बोली खुलने की तिथि को सभी आवश्यक अनुज्ञप्तियां (दुकान एवं स्थापना संबंधी) एवं टिन तथा पेन नंबर रखता हो।

2.2 ठेकेदार को किसी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं होना चाहिए। (उसे इस बाबत एक शपथपत्र देना होगा)

2.3 ठेकेदार का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक वर्ष/वर्षों का न्यूनतम वार्षिक लेनदेन रु0 3,00,000/–(रु0 तीन लाख मात्र) हो, (जो लेखा परीक्षित विवरण से प्रमाणित होना चाहिए)।

3. सामान्य शर्तें एवं निबंधन (General Terms & Conditions) :–

3.1 ठेकेदार को संस्थान व्दारा निश्चित की गई दरों पर परिशिष्ट 1 (Annexure 1) के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी।

3.2 निविदाकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह परिशिष्ट 1 (Annexure 1) के अनुसार खाद्य सामग्री जलपानगृह में हमेशा उपलब्ध रखे।

3.3 ठेकेदार को, लिए गए परिसर हेतु निविदा बोली परिशिष्ट "बी" के अनुसार दी गई दर से अग्रिम किराया, विद्युत प्रभार एवं अन्य आनुषंगिक प्रभार (Allied Charges) जैसा कि संस्थान अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा आकलित किया जाए, प्रतिमाह पहले सप्ताह में भुगतान करना होगा। वर्तमान में जल हेतु प्रतिमाह प्रभार रु0 200/– एवं विद्युत प्रभार रु0 8.40 प्रति यूनिट है।

3.4 योग्य बोलीदाता/निविदाकार को उसके द्वारा बोले गए उच्चतम अनुज्ञप्ति शुल्क (Highest Licence Fees offered) के आधार पर ठेका दिया जाएगा। तथापि, न्यूनतम अनुज्ञप्ति शुल्क प्रतिमाह रु0 7,000/–(रु0 सात हजार मात्र) होगा।

3.5 आवासीय संकुल क्रमांक 1 में लगभग 500 छात्र रह रहे हैं जो कि चौबीसो घंटे, सप्ताहांत में भी आवासीय संकुल में रहते हैं।

3.5 सामान्यतः आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह (Canteen) सुबह 6 बजे से 2.00 बजे तक, शनिवार व रविवार सहित, सप्ताह के सातों दिन खुला रहेगा। ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश में आवास संकुल (Hall of Residence) –1 में जलपानगृह खोलने व बंद करने का समय संस्थान के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निश्चित किया जाएगा।

3.6 वर्तमान कार्यस्थल पर, निविदाकार द्वारा दी जा रही सादृष्य सुविधा (Similar services) का जलपानगृह समिति (Canteen Committee) जाकर निरीक्षण कर सकती है जिससे निविदाकार के पास उपलब्ध सामग्री/उपकरणों व खाद्यसामग्री के स्वाद व गुणवत्ता की जांच की जा सके। जलपानगृह समिति को उसके द्वारा किए गए निरीक्षण के निष्कर्ष अनुसार तकनिकी बोली (Technical Bid) को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

3.7 निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, किसी भी निविदा/बोली या सभी निविदा/बोलियों को, बिना कोई कारण बताए, स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.8 सफल निविदाकार को, उसके द्वारा संस्थान को दिए गए प्रस्ताव पर संस्थान की स्वीकृति से, 15 दिवस के भीतर जलपानगृह (Canteen) का संचालन चालू करना होगा। ऐसा किये जाने में असफल रहने पर, सफल निविदाकार की अमानत राशि (Earnest Money Deposit) जब्त कर ली जाएगी व अगले पात्र निविदाकार (Next eligible Tenderer) को ठेके का प्रस्ताव दिया जाएगा।

3.9 निर्धारित तिथि तक अनुज्ञप्ति शुल्क (License Fees) जमा करने में असफल रहने पर निविदाकार पर अनुज्ञप्ति शुल्क के 10 प्रतिशत या रु0 1,000/–(रु0 एक हजार मात्र) जो भी अधिक हो, प्रतिमाह की दर से, शास्ति (Penalty) अधिरोपित (Impose) की जाएगी।

3.10 उपयोग हेतु तय तिथि (Expiry date) के बाद की खाद्यसामग्री (Eatable) जलपानगृह (Canteen) में पाये जाने पर रु0 2,000/–(रु0 दो हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित (Impose) की जाएगी व उक्त खाद्यसामग्री जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह तत्काल प्रभाव से ठेका निरस्त कर दे।

3.11 सफल निविदाकार को, समय समय पर संस्थान में होने वाली बैठकों या समारोह में, विशिष्ट खाद्यपदार्थ जो परिशिष्ट 1 (Annexure 1) के अंतर्गत नहीं आते है, नाश्ता/खाना में आपूर्ति कर (Supply & Serve) परोसने होंगे, जिनकी दर आपसी सहमति से तय की जाएगी।

3.12 आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 का जलपानगृह (Canteen), सप्ताह के सातों दिन संचालित किया जाएगा जिसमें कोई अवकाश दिवस नहीं होगा व किसी भी दिन सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बगैर बंद नहीं रखा जाएगा।

3.13 सफल निविदाकार केवल संस्थान द्वारा अनुमोदित वस्तुएं या खाद्यपदार्थ ही विक्रय करेगा/परोसेगा।

3.14 सूची में न दी गई वस्तुएं या खाद्यपदार्थ, संस्थान व सफल निविदाकार के द्वारा आपसी सहमति से तय की गई दर से बेचे जाएंगे।

3.15 सफल निविदाकार, आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 के जलपानगृह में, किसी भी नाबालिग बच्चे को कार्य पर नियुक्त नहीं करेगा।

3.16 सफल निविदाकार को, ठेका आवंटन आदेश की तिथि से 10 दिन के भीतर, प्रतिभूति जमा के रुप में रु0 20,000/–(रु0 बीस हजार मात्र) की परफार्मेंस बैंक गारंटी जो "पीडीपीएम,आईआईआईटीडीएम जबलपुर" के पक्ष में जबलपुर में देय हो, प्रस्तुत करना होगी।

3.17 यदि ठेका अनुबंध अवधि के दौरान, किसी भी समय, यह पाया गया कि जलपानगृह में परोसे जानेवाले खाद्यपदार्थ (Eatables) अस्वास्थ्यकर (Unhygienic)/असंतोषजनक है, या सफल निविदाकार, ठेका अनुबंध के तहत उसके कर्तव्य का निर्वाह करने में असफल रहा है, तो संस्थान को अधिकार होगा कि उसका ठेका निरस्त कर दें व ऐसी स्थिति में अपने विवेकानुसार, प्रतिभूति राशि रु0 20,000/–या उसका कोई भाग शास्ति (Penalty) या दंडस्वरुप जब्त कर लें।

3.18 सफल निविदाकार को, अनुमोदित खाद्यपदार्थों की दर सूची (Rate list) जलपानगृह के बाहर उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।

3.19 सफल निविदाकार, को व्यवस्था करनी होगी कि सभी खाद्यपदार्थ कांच के आवरण वाले (Glass covered) शो केस में रखे जाए जिससे मख्खियों या अन्य कीड़ों से सुरक्षित रह सके। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खाद्यपदार्थ दस्ताने पहन कर या चिमटी के माध्यम से परोसे जाएं।

3.20 संस्थान व्दारा आवास संकुल (Hall of Residence) –1 के जलपानगृह में परोसे जाने वाले खाद्यपदार्थों के निरीक्षण व उन पर राय देने के लिए समिति का गठन किया जा सकता है।

3.21 सक्षम प्राधिकारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, खाद्यपदार्थों व उनके निर्माण की, समय समय पर जांच करेंगे व ऐसी वस्तुएं या उसकी तैयारियां जो स्वास्थ्य के लिए अहितकर या अस्वास्थ्यकर (Unhygienic) पाई जाए, को उनके व्दारा बिना किसी मुआवजे/क्षतिपूर्ति के, अस्वीकृत कर दिया जाएगा, साथ ही वे अर्थदंड भी प्रभारित कर सकेंगे।

3.22 खाद्यसामग्री परोसे जाने वाले बर्तन/क्राकरी सक्षम प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा अनुमोदित व उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।

3.23 सफल निविदाकार, आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 के जलपानगृह के भीतर व उसके आसपास स्वयं के व्यय पर अच्छी साफसफाई रखने हेतु बाध्य होगा। इसके लिए संस्थान का कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होगा।

3.24 सफल निविदाकार, आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह चलाए जाने हेतु शासन अथवा अन्य प्राधिकारी व्दारा निश्चित की गई दरों के अनुसार लागू शुल्क/करों का संबंधित प्राधिकारी को सीधे भुगतान करेगा व भुगतान के विवरण, प्रमाण हेतु रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।

3.25 सफल निविदाकार एवं संस्थान के बीच किसी भी विवाद में संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम होगा व सफल निविदाकार हेतु बाध्यकारी होगा।

3.26 सभी कानूनी विवाद जबलपुर न्यायक्षेत्र के अधीन होंगे।

3.27 सफल निविदाकार के पास आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह चलाए जाने हेतु सामान्यतः आवश्यक सभी उपकरण, बर्तन, क्राकरी इत्यादि पर्याप्त संख्या में व चालू हालत में उपलब्ध होना चाहिये।

3.28 संस्थान, यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह किसी विशिष्ट प्रकार (ब्रांड) या बनावट (मेक) का पदार्थ सफल निविदाकार को विक्रय करने की अनुमति न दे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विक्रय हेतु अनुमत पदार्थों की सूची में छात्रों/कर्मचारियों/आगंतुकों की आवश्यकतानुरुप बदलाव किए जा सकते हैं।

3.29 सफल निविदाकार के पास सेवा देने हेतु पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक बर्तन, क्राकरी व मूलभूत संरचना उपलब्ध होनी चाहिये। उसे दोपहर व रात्रि भोजन (बुफे, लंच, डिनर) या चाय पार्टी का प्रबंध करने को कहा जा सकता है, जिसकी दरें आपसी सहमति से तय की जाएगी।

3.30 सफल निविदाकार को आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह के संचालन में सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे व एक प्राथमिक सहायता पेटी (First Aid Box) रखना होगी, जिसे समय समय पर अद्यतन/परिपूर्ण (Updated/replenished) करना होगा। निविदाकार, उसके द्वारा तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु भी जवाबदार होगा।

3.31 सफल निविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा लगाए गए सभी कर्मचारियों के चरित्र व पूर्ववृत्त(Antecedent) का पुलिस सत्यापन कराया जाए।

3.32 सफल निविदाकार ऐसे किसी भी कर्मचारी को आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह के कार्य पर नहीं रखेगा जो किसी छूतहा या संक्रमित (Contagious & Infectious) बीमारी से पीड़ित हो। उसे समय समय पर अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत साफसफाई व स्वच्छता भी सुनिश्चित करनी होगी।

3.33 सफल निविदाकार द्वारा पूर्ण परिसर या उसका कोई भी भाग किसी भी उद्देश्य से किसी अन्य एजेंसी को उपकिराये (Sublet) पर नहीं दिया जाएगा।

3.34 सफल निविदाकार को संस्थान के परिसर में चलित गाड़ियां (Movable Trolleys) आवश्यकतानुसार संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

3.35 सफल निविदाकार, अनुबंध के तहत अनुमत उद्देश्य के अलावा अन्य किसी गतिविधि में स्वयं को संलग्न नहीं करेगा।

3.36 सफल निविदाकार, अनुज्ञप्ति दाता (Licensor) को ऐसे किसी भी या सभी दावों के अधीन किसी भी हानि के लिए क्षतिमुक्त (Indemnified)रखेगा, जो कि अनुज्ञप्तिधारक के कर्मचारियों को हुई हो।

3.37 सफल निविदाकार, उसके स्वयं के व्यय पर अपने सभी कर्मचारियों को संस्थान के सामान्य प्रशासन से अनुमोदित पहचान पत्र उपलब्ध करवाएगा।

3.38 ठेके के अनुबंध की अवधि समाप्त होते ही या आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह (Canteen) की अनुज्ञप्ति समाप्त होते ही सफल निविदाकार, अपने क्रियाकलाप व व्यवसाय तुरंत समेटेगा/बंद (Wind up) करेगा व उसे संपूर्ण जलपानगृह (Canteen) परिसर तत्काल रिक्त करना होगा। परिसर रिक्त किए जाने में असफल रहने की स्थिति में, संस्थान यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह उसकी समस्त वस्तुएं/पदार्थ ठेकेदार के व्यय एवं जोखिम पर परिसर से हटा दें।

3.39 आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह (Canteen) में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी/कामगार, संस्थान प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गई वर्दी (Uniform) में ही कार्य करेंगे, जिसका व्यय सफल निविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।

3.40 निविदाकार, उपरोक्त शर्तों एवं निबंधनों के अलावा भी, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के आदशानुसार शर्तों एवं निबंधनों का पालन करने हेतु बाध्य होगा।

3.41 ठेके का औपचारिक अनुबंध किया जाएगा जो कि प्रथमतः दो वर्ष की अवधि हेतु वैध होगा व तदनंतर आवश्यक पाए जाने पर, सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार (अधिकतम एक वर्ष) की अवधि तक विस्तार योग्य होगा।

3.42 पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर के, इस हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा ठेकेदार फर्म/एजेंसी के कार्यनिष्पादन (Performance) का लगातार निरीक्षण एवं निगरानी की जाएगी। यदि ठेके की अवधि के दौरान, किसी भी समय ठेकेदार फर्म/एजेंसी का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया तो पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, बिना कोई कारण बताए, ठेका अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.43 कृपया ध्यान दें कि छात्रों एवं कर्मचारियों की संख्या केवल संभाव्य ग्राहकों की सांकेतिक संख्या (Indicative Number) है। संस्थान इस बात का कोई आश्वासन (गारंटी) नहीं देता कि उसके सभी छात्र/कर्मचारी जलपानगृह (Canteen) सुविधा का लाभ उठाएंगे।

3.44 आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह (Canteen) के सुलभ संचालन हेतु, बैठक क्षेत्र में आवश्यक फर्नीचर, सफल बोलीकर्ता को, संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। परंतु सफल बोलीकर्ता, समस्त फर्नीचर/विद्युत फिटिंग/उपस्कर (Fixture) की मरम्मत एवं रखरखाव, एवं उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी फर्नीचर या अन्य विद्युत सामग्री को हुई किसी भी क्षति या हानि को सफल बोलीकर्ता ही वहन करेगा।

3.45 जलपानगृह (Canteen) के संचालन में निकलने वाले कूड़ा कचरा (Garbage) का निपटान, ठेकेदार को संस्थान के परिसर के बाहर करना होगा। किसी भी प्रकार का कचरा व बची खुची सामग्री, छात्रों या ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा जलपानगृह (Canteen) के बाहर फेंकी/फैलाई/निपटान नहीं की जाएगी जो छात्रों की स्वास्थ्य समस्या का कारण बने।

3.46 निविदाओं बाबत अंतिम निर्णय, बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अनुज्ञप्ति शुल्क (License Fees) के आधार पर लिया जाएगा।

3.47 ठेकेदार को शाकाहारी एवं मांसाहारी व्यंजन बनाने के बर्तन पूर्णतः अलग अलग रखना सुनिश्चित करना होगा, जिसकी निगरानी (Monitoring) सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित एक समिति द्वारा की जाएगी। इस शर्त का अनुपालन न होने पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार शास्ति (Penalty) लगाई जाएगी।

3.48 जलपानगृह (Canteen) का ले-आउट अभिकल्पन (Design) परिशिष्ट 2 के रुप में संलग्न है।

4. अनुबंध अवधि (Contract Period) :–

i ठेके का एक औपचारिक अनुबंध किया जाएगा जो कि प्रथमतः दो वर्ष की अवधि हेतु वैध होगा व तदनंतर ठेकेदार का कार्यप्रदर्शन (Performance) संतोषजनक पाए जाने पर, एवं आवश्यक समझे जाने पर, सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार आगे की अवधि, (अधिकतम एक वर्ष) तक विस्तार योग्य होगा। परंतु एक बार में यह अवधि छै माह से अधिक नहीं होगी।

ii यदि अनुबंध अवधि के दौरान संस्थान की निगरानी समिति (Monitoring Committee) ठेकेदार की सेवाओं के असंतोषप्रद होने बाबत रिपोर्ट करती है तो, ठेकेदार को इस बाबत औचित्य (Justification) स्पष्ट करने का अवसर देते हुए ठेका अनुबंध संस्थान द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इस तरह ठेका समाप्त होने पर संस्थान को यदि कोई हानि होती है, तो हानि की वसूली ठेकेदार से की जाएगी। इस बाबत निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

iii ठेका/अनुबंध के अनुपालन न होने या उसमें निहित किसी भी शर्त/निबंधन को भंग करने पर निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, उसके द्वारा उचित समझी गई अवधि हेतु, ठेकेदार को लिखित कारण बताओ नोटिस देकर, ठेका/ठेकों की बची हुई अवधि हेतु, ठेका अनुबंध निरस्त कर सकता है। ऐसे निरस्त ठेका/अनुबंध हेतु जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। इस बाबत निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

iv निदेशक, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, किसी भी समय,एक माह का लिखित नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताए, ठेका अनुबंध समाप्त कर सकता है।

5. मजदूरी, श्रमकल्याण एवं भुगतान की शर्तें (Wages, Welfare & Payment Conditions):–

i ठेकेदार को भारत सरकार द्वारा समय समय पर लागू किए गए सभी श्रम कानूनों एवं अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं (Statutory requirements) का कठोरता पूर्वक पालन करना होगा जैसे चिकित्सा व्यय, दुर्घटना हितलाभ, कामगार मुआवजा, न्यूनतम मजदूरी, बोनस एवं अन्य श्रम कल्याण उपाय आदि।

ii किसी नियम या कानून के भंग किए जाने पर श्रम विभाग, किसी न्यायालय या किसी अन्य विभाग द्वारा लगाई जाने वाली शास्ति (Penalty) या दंड राशि के भुगतान हेत सेवा प्रदाता स्वयं ही भागी (Liable) व उत्तरदायी होगा।

iii किसी भी बाल श्रमिक को काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

iv भारत सरकार के नियमों/श्रम कानूनों/न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार तैनात किए गए सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश (Weekly off) दिया जाना होगा।

v ठेकेदार को उसके द्वारा तैनात किए गए सभी कर्मचारियों को, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum wages act) के तहत निर्धारित दरों के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान करना होगा।

घोषणापत्र (UNDERTAKING)

1. मै यह घोषित करता हूं कि मैने सभी शर्तों व निबंधनों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है एवं पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के प्रस्तावित कार्य के मानदंडों (Parameters) को समझ लिया है व मैं उनका पालन करने हेतु वचनबद्ध हूं।

2. मै यह भी घोषित करता हूं कि मैने कार्य को करने के लिए नियत मानदंडों एवं तकनिकी विशिष्टताओं (Parameters & Technical specifications) को समझ लिया है व मैं कार्य का संचालन पूर्णतः नियत मानदंडों के अनुरुप ही करुंगा।

3. मै यह भी घोषित करता हूं कि फर्म/एजेंसी को किसी भी सरकारी विभाग या संस्थान द्वारा काली सूची (Black list) में नहीं डाला गया है।

4. मै यह भी घोषित करता हूं कि फर्म/एजेंसी/एकमेव स्वामी ठेकेदार को किसी भी न्यायालय व्दारा दंडित नहीं किया गया है।

5. मै यह भी घोषित करता हूं कि इस निविदा में दी गई सभी सूचनाएं सही एवं सत्य है व जिनकी मैं पूरी तरह जवाबदारी लेता हूं।

दिनांक :...

स्थान : ....

....
निविदाकार के
दिनांकित हस्ताक्षर
एजेंसी की सील सहित

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया जिला जबलपुर-482005

कार्य का नाम : आवास संकुल (Hall of Residence) –1 में जलपानगृह (Canteen) चलाना.

तकनिकी बोली

(तकनिकी बोली एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखी जाएं जिस पर "तकनिकी बोली" अंकित किया गया हो)

1. निविदाकार/ठेकेदार का नाम :– ....
2. फर्म/एजेंसी का नाम :– ....
3. अमानत राशि (EMD) का विवरण मय ड्राफ्ट् नंबर :–...
4. समान क्षेत्र में कार्यअनुभव का विवरण (संबंधित संस्था का प्रमाणपत्र संलग्न करें)

S. No.	Period अवधि	Organization संस्थान	Details of Services सेवा/कार्य

स.क्र.	From से	To तक		का विवरण

(आवश्यक होने पर अलग पृष्ठ संलग्न करें)

5. पिछले 3 वर्ष में से किसी एक वर्ष का वार्षिक लेनदेन (Annual Turn Over)(कार्यरत सनदी लेखाकार (Practicing Chartered Accountant) द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें।)

Year वर्ष	Turn over in Rs. Lacs वार्षिक लेनदेन लाख रु. में	Document (Attach Photocopy) दस्तावेज(प्रति संलग्न करें)

6. मूल्य संवर्धित कर (VAT) पंजीयन नंबर
(प्रमाण संलग्न करें):–...
7. पेन नंबर
(प्रमाण संलग्न करें):–...
8. फर्म / एजेंसी / दुकान का पंजीयन नंबर
(प्रमाण संलग्न करें):–...
9. पिछले 3 वर्षों में से किसी 1 वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
10. कृपया स्पष्ट करें कि क्या निविदाकार एकमेव स्वामी / प्रा.लि. कं0 / साझेदारी फर्म है ?
(सभी साझेदारों के नाम दिए जाएं, यदि लागू हो)

....
निविदाकार के हस्ताक्षर

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया जिला जबलपुर-482005

वित्तीय बोली

(वित्तीय बोली एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखी जाएं जिस पर "वित्तीय बोली" अंकित किया गया हो, निविदा के साथ प्रस्तुत करें)

कार्य का नाम : आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह (Canteen) चलाना.

1. निविदाकार / ठेकेदार फर्म / एजेंसी का नाम :–..
2. ठेके की अवधि :– वास्तविक अनुबंध तिथि से एक वर्ष।
3. प्रस्तावित मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क(अंकों में) :–..
4. प्रस्तावित मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क(अक्षरों में) :–..

.

यदि अंकों एवं अक्षरों में कोई अंतर होता है, तो अक्षरों में प्रस्तावित अनुज्ञप्ति

शुल्क (Licence Fees) ही मान्य होगा।

....

निविदाकार के हस्ताक्षर
एजेंसी की सील सहित

<u>परिशिष्ट 1 Annexure 1)</u>

आवास संकुल (Hall of Residence) – 1 में जलपानगृह(Canteen) में विकय

किये जाने वाले खाद्यपदार्थों की दर सूची

	पदार्थ / वस्तु का नाम	**मात्रा**	**दर (भाव)रुपयों में**
1	चाय (एक कप)	125 एम.एल.	5.00
2	कॉफी (एक कप) नेस्केफे	150 एम.एल.	7.00
3	समोसा (आलू ,मटर या दोनों)	75 ग्राम	5.00
4	ब्रेड पकोड़ा (आलू भरा हुआ)	75 ग्राम	8.00
5	मठरी	50 ग्राम	5.00
6	वेजीटेबल पकोड़ा	100 ग्राम	10.00
7	4 पूड़ी (प्रत्येक 50 ग्राम) + सब्जी (150 ग्राम)	प्रति प्लेट	20.00
8	लड्डू (बेसन / बूंदी)	50 ग्राम	6.00

9	सांबार + वड़ा (प्रत्येक 60 ग्राम)	60 ग्राम के दो नग	20.00
10	सादा डोसा, सांबार व चटनी के साथ	प्रति नग	25.00
11	मसाला डोसा, सांबार व चटनी के साथ	प्रति नग	30.00
12	इडली (एक प्लेट = दो इडली), सांबार व चटनी के साथ	60 ग्राम के दो नग	20.00
13	उत्तपम (200 ग्राम) चटनी के साथ	प्रति प्लेट	25.00
14	चाउमिन	200 ग्राम	20.00
15	मिक्स वेज कटलेट (75 ग्राम के दो नग)	प्रति प्लेट	15.00
16	छोटा बर्गर	1 नग	10.00
17	बर्गर (मेक डोनाल्ड साइज)	1 नग	20.00
18	सैंडविच मख्खन / ककड़ी / टमाटर के साथ बना.	1 नग	15.00
19	पैटीस (आलू)	सामान्य	10.00
20	पैटीस (पनीर)	सामान्य	12.00
21	बिस्कीट्स / टॉफी / दही / दूध / पैक्ड जूस	प्रति पैक	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
22	पैक्ड पेयजल / शीतल पेय / चिप्स इत्यादि	प्रति पैक	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
23	जूस बोतल / पैक्ड जूस	प्रति पैक	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
24	पोहा	प्रति प्लेट	10.00
25	नूडल्स एवं मैगी	200 ग्राम	20.00
26	जलेबी	100 ग्राम	20.00
27	पाव भाजी	1 नग	20.00
28	ड्राय फ्रुट पैकेट	प्रति पैक	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
29	फ्राइड चना, मटर इत्यादि	प्रति पैक	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
30	वेजीटेबल उपमा	200 ग्राम	20.00
31	गोबी / आलू / मूली परांठा	1 नग प्रत्येक	15.00
32	पनीर परांठा	1 नग प्रत्येक	20.00
33	सादा परांठा	1 नग प्रत्येक	10.00
34	पानी पुरी	7 नग मसाले के साथ	10.00
35	वेज बिरयानी (बासमती चावल) ड्राय फ्रुट्स एवं अचार के साथ	1 प्लेट	30.00
36	अचार एवं सॉस	प्रति पैक	अधिकतम खुदरा मूल्य पर
37	चिकन टिक्का (ड्राय)	प्रति नग	10.00
38	लहसुन चिकन / अदरक चिकन (ड्राय)	प्रति नग	10.00
39	चिकन बिरयानी (बासमती चावल) एवं रायता (ककडी+दही)	1 प्लेट	40.00
40	ब्रेड एवं ऑमलेट	4 नग एवं 2 एग्ज	20.00
41	बॉइल्ड एग (प्याज एवं सॉस के साथ)	4 नग	20.00

42	वेज एवं एग सेंडविच	1 नग	20.00
43	छोले राइस/राजमा राइस (अचार के साथ)	1 प्लेट (250 ग्राम)	30.00

पैकेजिंग की गुणवत्ता बहुत अच्छी व जलपानगृह समिति से अनुमोदित होनी चाहिये। उपर दिए गए दरों में सभी प्रकार के कर शामिल है।

आवास संकुल (Hall of Residence) –1 के जलपानगृह (Canteen) में किसी भी प्रकार की शराब, सिगरेट, गुटखा व अन्य विषैली वस्तुओं (Intoxicating Items) के विक्रय की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी। सक्षम समिति द्वारा सत्यापन (Verification) किए जाने पर इस शर्त की अनुपालना ठेकेदार द्वारा न होना पाया जाने पर ठेका अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा व प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

मैने इस निविदा दस्तावेज एवं उसमें निहित समस्त शर्तों एवं निबंधनों को पूर्ण रुप से समझ लिया है। मैं परिशिष्ट 1, जो कि इस वित्तीय बोली के साथ संलग्न है व मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है, में दी गई दरों पर खाद्यपदार्थ एवं नाश्ता (Snacks) के पेकेजेस विक्रय करने हेतु सहमत हूं। मैने यह भी समझ लिया है कि मुझे खाद्यपदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी। विशेषतः नाश्ता (Snacks) /भोजन के पेकेजेस में खाने की गुणवत्ता हल्दीराम/बिकानेर मिठाईयों के समकक्ष स्तर की होगी.

मैने उपरोक्त को अच्छी तरह समझ लिया है व उपरोक्त खाद्यपदार्थ दी गई दरों पर विक्रय करने हेतु सहमत हूं।

....

निविदाकार के हस्ताक्षर

एजेंसी की सील सहित